



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 19, 2012/आश्विन 27, 1934

No. 231]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2012/ASVINA 27, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 16 अक्टूबर, 2012

आइआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण)
(तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012

फा. सं. आइ.आर.डी.ए./वि/2/58/2012.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का धारा 41) की धारा 26 के साथ पठित, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, भारत के राजपत्र में फाइल सं. आइआरडीए/वि/7/2000 द्वारा 14 जुलाई, 2000 को अधिसूचित, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियमावली, 2000 जिसे भारत के राजपत्र में एफ. सं. आइआरडीए/वि/26/2003 द्वारा 7 मार्च, 2003 को आगे संशोधित किया गया तथा एफ. सं. आइआरडीए/वि/3/44/2008 द्वारा, दिनांक 13 फरवरी, 2008 को आगे और संशोधित किया गया, में आगे और संशोधन के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तृतीय संशोधन),

विनियमावली, 2012 के विनियम 2(ज) में :

“बुनियादी ढांचा सुविधा” (इन्फ्रास्ट्रक्चर फसिलिटी) का मतलब है—बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की “सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची” जैसा कि निम्नलिखित अधिसूचना में बताया गया है :

भारत सरकार के आर्थिक मामले विभाग (बुनियादी ढांचा अनुभाग), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2012 में वर्णित “बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची” (समय-समय पर संशोधित)।

श्रीराम तरणिकांति, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन III/4/असाधारण/161/12]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT
AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 16th October, 2012

IRDA (REGISTRATION OF INDIAN INSURANCE
COMPANIES) (THIRD AMENDMENT)
REGULATIONS, 2012

F. No. IRDA/Reg/2/58/2012.—In exercise of the powers conferred by Sections 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, notified on 14th July, 2000 vide

F. No. IRDA/Reg/7/2000 in the Gazette of India, further amended on 7th March, 2003 *vide* F. No. IRDA/Reg/26/2003 in the Gazette of India and further amended on 13th February, 2008 *vide* F. No. IRDA/Reg/3/44/2008 namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Third Amendment) Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In Regulation 2(h) of the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of

Indian Insurance Companies) (Third Amendment) Regulations, 2012.

“Infrastructure facility”, means “Harmonised Master list of Infrastructure sub-sectors” as mentioned in :

Gazette Notification Dt. 27th March, 2012 issued by Department of Economic Affairs (Infrastructure Section), Ministry of Finance on “Harmonised Master list of Infrastructure sub-sectors” and amended by Department of Economic Affairs from time to time by way of new notification.

SRIRAM TARANIKANTI, Executive Director

[ADVT. III/4/Exty./161/12]